फाइल सं. डब्ल्यूक्यू-11(1)2015-जल-I

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड़,
नई दिल्ली-110003

दिनांक: 12 मार्च, 2015

सेवा में,

श्री रविन्द्र सेवक
कंटरी निदेशक
सेफ वाटर नेटवर्क इंडिया
द सैंट्रम, 369-370
टीबी-3, तीसरी मंजिल
मेन महरौली-गुड़गाँव रोड, सुल्तानपुर,
नई दिल्ली-110030

विषय:- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) का की-रिसोर्स सेन्टर (के रसी) बनने के लिए सेफ वाटर नेटवर्क इंडिया, नई दिल्ली को पैनल में शामिल करना।

अपने पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2014 तथा बाद में इस मंत्रालय में दिनांक 25 फरवरी, 2015 के प्रस्तुतीकरण को देखें। यह सूचित किया जाता है कि सेफ वाटर नेटवर्क इंडिया, नई दिल्ली को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) के अधीन की-रिसोर्स सेन्टर (के रसी) के रूप में पैनल में शामिल किया गया है। इसके लिए शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. कार्य-क्षेत्र

- पीएचईडी अभियंताओं, पी र ई प्रतिनिधियों, मास्टर प्रशिक्षकों और अन्य स्टेक होल्डरों के ज्ञान, हुनर और चार-व्यवहार को अपग्रेड करना।

- एक प्रभावी एवं बरकरार रह सकने वाले तरीके से सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षुओं को बौद्धिक तौर पर और व्यावसायिक तौर पर तैयार करना।

- नई तकनीकों और परिवर्तनों के संबंध में कार्मिकों को अपडेट रखना और वैयक्तिक एवं संगठन स्तर पर बेहतर कार्य निष्पादन के लिए वश्यक व्यावसायिक ज्ञान और कौशल को बढ़ाना।

- प्रशिक्षुओं को व्यावसायिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं समर्थ बनाना।

- पैदा होने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए गे बढ़ने की मनोवृत्ति को बढ़ाना, ग्रामीणों के अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ग्रामीणों के मामलों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें पेयजल सुविधाओं की योजना बनाने, कार्यान्वित करने तथा मॉनिटर करने की प्रक्रिया में शामिल करना।

- व्यावसायिक वश्यकताओं के साथ-साथ सामाजिक, र्थिक, तकनीकी और राजनीतिक वातावरण जिसमें इसे लागू किया जाना है, की बेहतर समझ को बढ़ाना।

- केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर शुरू किए गए अन्य कार्यक्रमों के साथ कंवर्जेंस के बारे ज्ञान और कौशल को बढ़ाना।

- संप्रेषण की क्षमता और विकास यूनिट की क्षमता (सीसीडब्ल्यू) को बढ़ाना।

II नियुक्ति की अवधि

- की-सिसोर्स सैन्टर्स का चयन पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। जब भी वश्यक समझा जायेगा नए की-रिसोर्स सैन्टर्स का चयन किया जा सकता है।

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को यह अधिकार है कि वह तीन महीने का नोटिस देकर किसी भी संस्था का के रसी स्टेटस समाप्त कर सकता है और के रसी अपने खातों का निपटान करेगा/ सौंपे गए कार्य का पूरा करेगा और इस विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

III वित्तीय शर्तें

भारत सरकार राष्ट्रीय की-रिसोर्स सैन्टर्स को 100% ग्रान्ट धार पर फंड उपलब्ध करेगी। यह फंड अनुमोदित एएपी पर धारित होगा। फंड निम्नलिखित उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराया जाएगा:-

- राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों पी र ई सदस्यों, मास्टर प्रशिक्षकों, एनजीओ के सदस्यों, सीबीओ दि के प्रशिक्षण ओरिएंटेशन तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों का योजना करने के लिए।

- राज्य के संचार एवं क्षमता विकास यूनिटों (सीसीडीयू) का तकनीकी मार्गदर्शन करने के लिए।

- सुरक्षित पेयजल से संबंधित वर्कशाप, सेमिनार, विचार गोष्ठी, गोलमेज विचार विमर्श, कांफ्रेंस, बैठकें योजित करने के लिए।

- केस के अध्ययन, अध्ययन को गे बढ़ाने, अनुसंधान कार्य दि के दस्तावेज के लिए।

- क्षेत्र के दौरे के लिए रिसोर्स सैन्टर के व्यावसायियों और विशेषज्ञों के टीए/डीए,मानदेय, व्यावसायिक-शुल्क का भुगतान करने के लिए।

- अदा किए जाने वाले करों, यदि कोई हो, के अतिरिक्त कुल बजट का अधिकतम 10% की दर पर की-सिसोर्स सैन्टर्स का संस्थागत प्रभार।

- के रसी गाइडलाइंस के अनुसार ग्रामीण पेयजल सैक्टर के लिए की-सिसोर्स सैन्टर्स (के रसी) द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए लागत-मानकों का विवरण।

इस पत्र के जारी होने की तिथि से सात दिनों के अंदर इस मंत्रालय को स्वीकृति पत्र भेज दिया जाए।

(संध्या सिंह)
संयुक्त निदेशक (एमएंडई/स्टैट.)

संलग्न: गाइडलाइन की-रिसोर्स सैन्टर (के रसी), ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-
सचिव (पेयजल एवं स्वच्छता) के पीपीएस
संयुक्त सचिव (स्वच्छता)/संयुक्त सचिव (जल) के पीएस
निदेशक (जल)/निदेशक (स्वच्छता)/निदेशक (वित्त)
निदेशक (एन ईसी) को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।

ग्रामीण पेयजल सेक्टर में प्रशिक्षण और क्षमता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय की-सिसोर्स सैन्टर्स (के रसी) को सहायता।

1. पृष्ठभूमि:

हाल ही के वर्षों में ग्रामीण जल पूर्ति सेक्टर में स्रोतों, प्रणालियों, वित्तीय एवं संस्थाओं, जल गुणवत्ता मामले, बदलते हुए माहौल में उनके रोल को करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंताओं की क्षमता, जल पूर्ति दि का प्रबंध करने के लिए पी रू ई की क्षमता को बनाए रखने जैसी बहुत सारी नई समस्याएँ और चुनौतियाँ सामने ई हैं। ने वाली इन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए यह वश्यक है कि विभिन्न स्टेक होल्डरों की क्षमता में वृद्धि हो जिससे वे अपने रोल को निभा सकें और उत्तरदायित्व को प्रभावी तरीके पूरा कर सकें। लंबी अवधि के धार पर सभी को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित कराने में स्थानीय जानकारी और पारम्पारिक समझदारी में सामंजस्य स्थापित करने हेतु स्टेकहोल्डरों को समर्थ बनाने के लिए ज्ञान और सूचना के बीच अंतर को भरने की वश्यकता है। ग्रामीण पेयजल सेक्टर में निवेश में वृद्धि से और जल सेवाओं के निर्माण से पूर्ति की ओर अधिक ध्यान केंदित करने से लोक स्वास्थ्य अभियंताओं तथा पी रू ई का रोल भी बदल रहा है।

इस प्रयास में विभिन्न स्टेक होल्डरों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अच्छे संस्थानों की और इन विषयों पर कार्य करने के अनुभवी लोगों की, प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने वालों की वश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के नए दिशा-निर्देश के लागू होने से ऐसी वश्यकता अनुभव की गई है कि ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए की-रिसोर्स सैन्टर्स (के रसी) जैसे संस्थानों की पहचान की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा के क्षेत्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षमताओं को बढ़ाने में, विभिन्न स्टेक होल्डरों की रिओरियन्टेशन में, ज्ञान और सूचना का प्रचार करने में, उत्तम प्रैकटिसों के दस्तावेज तैयार करने दि में एक से अधिक राज्यों में नियुक्त राष्ट्रीय के रसी मुख्य संस्थान होंगे।

2. वश्यकता:

अभी हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में प्रतिमानों के शिफ्ट होने से केवल बसावटों को कवर करने की अपेक्षा घरेलू स्तर पर पेयजल सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर बल दिया जा रहा है तथा केवल पूर्ति की ओर ही ध्यान न देकर माँग पूरी करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। एन रडीडब्ल्यूपी शाक्तिशाली, जागरूक और कुशल पंचायतों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा सभी स्तरों पर जल पूर्ति एवं संसाधनों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, प्रचालन, रखरखाव तथा प्रबंधन करने में सक्षम सहायक विभागीय स्टाफ पर ध्यान देता है, यह ग्रामीण जल पूर्ति सेक्टर में प्रेरित, कुशल और प्रशिक्षित कार्मिक का बहुस्तरीय कैडर बनाने पर बल देता है। सेक्टर व्यावसायिकों को वश्यकता धारित सेवा में रहते हुए

प्रशिक्षण/विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग के माध्यम से भूमिका, उत्तरदायित्वों, ज्ञान कौशल और मनोवृत्तियों में हो रहे बदलाव के प्रति संवेदनशील होना होगा।

3. के रसी के उद्देश्य

i) पीएचईडी अभियंताओं, पी र ई प्रतिनिधियों, मास्टर प्रशिक्षकों और अन्य स्टेकहोल्डरों के ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति को बढ़ाना;

ii) सौंपे गए उत्तरदायित्वों को प्रभावी एवं मजबूत तरीके से पूरा करने के लिए प्रशिक्षकों को समझदारी से एवं व्यावसायिक तरीके से तैयार करना;

iii) नई तकनीकियों और नवीनताओं पर कार्मिकों को अपडेट रखना तथा वैयक्तिकों एवं संगठनों के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए जरूरी व्यावसायिक ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना;

iv) व्यावसायिक उत्तमता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं सक्ष्म बनाना;

v) ने वाली समस्याओं और चुनौतियों से निपटने की मनोवृत्ति संबंधी रिओरिएंटेशन को बढ़ाना, ग्रामीण समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना, ग्रामीण समुदाय की समस्याओं पर ध्यान देना और पेयजल सुविधाओं की योजना बनाने, कार्यान्वित करने एवं मॉनिटर करने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करना;

vi) व्यावसायिक वश्यकताओं की बेहतर समझ में वद्धि करना, तथा सामाजिक, थिक, तकनीकी और राजनीतिक वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाना जिसमे इसे लागू किया जाना है।

vii) केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर शुरू किये गए अन्य संबंधित कार्यक्रमों के बारे मे ज्ञान और कौशल को बढ़ाना;

viii) संचार और क्षमता विकास यूनिट (सीसीडीयू) की क्षमता में वृद्धि करना।

4. कार्य:

i. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडबल्यूएसएम) के स्टाफ और सदस्यों, पंचायत राज्य संस्थानों (पी र ई) लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग (पीएचईडी) और संचार एवं क्षमता विकास यूनिट (सीसीडीयू), एनजीओ, समुदाय धारित संस्थान, मास्टर प्रशिक्षकों दि को लीडरशिप, प्रबंधन संबंधी, प्रशासनिक, तकनीकी, सामाजिक, थिक, मनोवृतितात्मक, वित्तीय अनुबंध संबंधी एवं विधि मामलों दि के बारे में विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों पर प्रारम्भिक प्रशिक्षण, सेवा कालीन प्रशिक्षण देना ओरियंटेशन और क्षमता का विकास करना।

ii. उचित एवं मितव्ययी तकनीकियों तथा कार्यान्वयन तरीकों से संबंधित विभिन्न स्टेकहोल्डरों की क्षमता का विकास करना जो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाये और संसाधन को बरकरार रख सके।

iii. □ धुनिकतम नवीनताओं/परिवर्तनों, टूल्स और उत्तम प्रैक्टिस पर स्टेकहोल्डरों को जानकारी देने में सहायता करना जो इन सेवाओं को प्रभावी तरीके से एवं कुशलता पूर्वक दे सके और मॉनिटर कर सके।

iv. प्रगति प्रशिक्षण और संचार योजनाओं में राज्य सीसीडीयू का तकनीकी मार्गदर्शन करना।

v. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन-सदस्यों (डीडब्ल्यूएसएम), ग्रामीण जल स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएचएससी) सदस्यों, पंचायती राज संस्थानों (पी□ र□ ई) के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता दलों, विद्यालय पदाधिकारियों, स्वास्थ्य वर्करों और अन्य स्टेक होल्डरों की क्षमता का निर्माण करके एन□ रडीडब्ल्यूपी की जागरूकता और समझ में वृद्धि करना।

vi. कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए टीएनए परिणामों पर □ धारित और राज्यों के साथ विचार विमर्श करते हुए प्रशिक्षण मापदंड और सामग्री तैयार करना।

vii. इस क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं नए विकास से प्राप्त प्रतिक्रिया पर □ धारित प्रशिक्षण सामग्री को समय-समय पर अद्यतन करना।

5. चयन प्रक्रिया:

पेयजल □ पूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य के पिछले अनुभव-रिकार्ड, ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में संबंधित संस्थानों/संगठनों में पिछले कार्य एवं भागीदारिता के □ धार पर की-रिसोर्स सैन्टर्स की पहचान की जायेगी। ऐसे सैन्टर्स का चयन करते समय राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव माँगे जाएँ। की-रिसोर्स का चयन पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। नए की-रिसोर्स सैन्टर्स का चयन □ वश्यकतानुसार किया जायेगा।

विभाग एवं के□ रसी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी संस्था का के□ रसी के रूप में स्टेटस इसे अग्रिम रूप से तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त कर सकते हैं और के□ रसी से अपेक्षित होगा कि वह खातों का निपटान/सौंपे गए कार्य को पूरा करे और इस विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

6. वार्षिक कार्य योजना

प्रत्येक राष्ट्रीय की-रिसोर्स सैन्टर पिछले वर्ष मार्च के अनुरूप के रसी के उद्देश्यों और कार्यों का विवरण देते हुए तथा प्रस्तावित गतिविधियों का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार एवं प्रस्तुत करेगा। जिसकी पेयजल पूर्ति विभाग द्वारा जांच की जायेगी और अनुमोदित किया जायेगा। इसके अनुमोदन के बाद दो किस्तों में वश्यक फंड जारी कर दिया जाएगा। पेयजल पूर्ति विभाग द्वारा प्रशिक्षण कलेंडर के अनुमोदन के बाद के रसी से अपेक्षित है कि वह विभाग की वेबसाइट (www.dws.gov.in) पर इस प्रशिक्षण कलेंडर को अपलोड करे और के रसी योजना बनाने के लिए स्टेक होल्डरों/पदाधिकारियों को सक्षम बनायेगा और उनकी भागीदारी/नामांकन के लिए वेदन करेगा।

7. फंडिंग:

भारत सरकार राष्ट्रीय की-रिसोर्स सेन्टर्स को 100% अनुदान धार पर फंड उपलब्ध कराएगी। यह धनराशि ऐसे प्रत्येक के रसी के अनुमोदित एएपी के धार पर होगी। धनराशि निम्नलिखित उद्देश्य के लिए दी जायेगी:-

I. राज्य और जिला स्तरीय पदाधिकारियों, पी र ई सदस्यों, मास्टर प्रशिक्षकों, एनजीओ के सदस्यों, सीबीओ दि के प्रशिक्षण, ओरिएन्टेशन और क्षमता विकास कार्यक्रमों का योजन करना।
II. राज्य के कम्यूनिकेशन एंड कैपसिटी डिवलैपमेंट यूनिट्स (सीसीडीयू) का तकनीकी मार्गदर्शन करना।
III. सुरक्षित पेयजल से संबंधित मामलों पर वर्कशाप, सेमिनार, विचार गोष्ठियों, गोल मेज विचार विमर्श, कांफ्रेंस, बैठकें योजित करना।
IV. केस-अध्ययन, अध्ययन पर विचार करने, अनुसंधान कार्य दि के दस्तावेज तैयार करना।
V. बाहर जाने के लिए रीसोर्स सैन्टर कार्मिकों और विशेषज्ञों को टीए/डीए, मानदेय, व्यावसायिक शुल्क देने के लिए ।
VI. कुल बजट की अधिकतम 10% अदा किए जाने वाले कर के अतिरिक्त, यदि कोई है, की दर पर की-रिसोर्स सैन्टर्स के संस्थागत प्रभार।

8. धनराशि जारी करना:

I. पेयजल पूर्ति (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा जारी फंड राष्ट्रीयकृत बैंक में के रसी के अलग बचत बैंक खाते में रखा जायेगा। इस विभाग द्वारा जारी फंड पर अर्जित ब्याज उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और अंकेक्षित खाता विवरण (एएसए) में भी प्रदर्शित होना चाहिए।
II. की-रिसोर्स सैन्टर्स की लेखा परीक्षा वार्षिक धार पर चार्टड अकाउंटेंट द्वारा की जायेगी। खाते का वार्षिक अंकेक्षित विवरण भारत सरकार के पास भेजा जाना चाहिए।

III. प्रत्येक वर्ष, फंड 50% प्रत्येक की दो किस्तों में के रसी की जारी किया जायेगा। पहली किस्त के रसी की वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदित होने के बाद जारी की जायेगी। फंड की दूसरी किस्त के रसी के पास कुल उपलब्ध फंड के 60% उपयोग करने के धार पर जारी की जाएगी, जिसका अर्थ पिछले वर्ष का प्रारंभिक शेष, जारी फंड की पहली किस्त और उस पर अर्जित ब्याज तथा रिपोर्टों की प्राप्ति, फंड उपयोग करने संबंधि प्रमाण पत्र एवं खाते का अंकेक्षित विवरण (एएसए) है।

9. कार्मिक

यह विभाग के रसी में किसी अतिरिक्त मानवशक्ति का समर्थन नहीं करेगा। तथापि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वर्कशाप, सेमिनार दि के योजन के लिए उन्हें पाठ्यक्रम शुल्क/संस्थागत शुल्क की अनुमति होगी जिनका उनके द्वारा नियुक्त कार्मिकों को भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है।

10. कार्य-प्रणाली

वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित प्रशिक्षण कलेंडर को के रसी और डीडीडब्ल्यूएस की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए। इसे के रसी द्वारा विस्तृत रूप से परिपत्रित करने के लिए और प्रशिक्षण के लिए नामांकनों को भेजने हेतु राज्य के सचिवों, राज्य के मुख्य अभियंताओं, सीसीडीयू तथा एस ई रडी के निदेशकों के पास भेजे जाने चाहिएं। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए न्यूनतम प्रशिक्षुओं की दुगुनी संख्या में नामांकन माँगे जाने चाहिएं जिससे कि छोड़कर जाने को ध्यान में रखा जा सके और कम से कम प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संख्या की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

इच्छुक व्यक्ति के रसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वेदन पत्र की हार्ड या सॉफ्ट कापी अग्रिम रूप से भेज सकते है। पदाधिकारियों के मामले में नामाकंन नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से भेजें। राज्यों से नामांकनों की प्राप्ति के बाद की-रिसार्स सैन्टर्स भाग लेने वालो को पाठ्यक्रम के स्थल, स्थल पर कैसे पहुँचे (विस्तृत लोकेशन नक्शें के साथ), परिवहन सुविधाओं, उनके रहने के प्रबंध और प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत अनुसूची के बारे में सूचित करें। के रसी भाग लेने वालों को गे सम्प्रेषण के लिए के रसी के संपर्क व्यक्ति के बारे में सूचना देंगे। प्रशिक्षण का प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए के रसी पाठ्यक्रम की विषयवस्तु की रूपरेखा की एक प्रति भाग लेने वालों को अग्रिम रूप से भेजे और उनसे अनुरोध करे कि वे प्रस्तुतीकरण और बात-चीत के माध्यम से अपने अनुभव को बाँटने के लिए तैयारी करके एँ।

के रसी को सुनिश्चित करना चाहिए कि भाग लेने वालों में प्रशिक्षण की तैयार सामग्री उच्च गुणवत्ता की परिपत्रित की गई है।

प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्रशिक्षुओं की शाएँ/ अपेक्षाएँ/संभावनाएँ तथा अंतिम दिन प्रतिक्रिया फार्म प्राप्त किए जाएँ। बातचीत और भाग लेने संबंधी दृष्टिकोण, अनुभव बांटने,

सीखने की ताकत और व्याख्यान पद्धति के स्थान पर भाग लेने वालों में बौद्धिक उन्माद जैसी तकनीकों पर बल दिया जाना चाहिए। भाग लेने वालों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि वे संदहो/प्रश्नों को उठा सकें और अवलोकनों और टिप्पणियों को प्रस्तुत कर सकें। भाग लेने वाले उपस्थित प्रशिक्षु एक कार्य योजना कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को उनके द्वारा कैसे कार्यशीलता में बदला जा सकता है, विकासित करेंगे और के रसी को प्रस्तुत करेंगे। के रसी फील्ड दौरे की योजना बनाएगी जो प्रशिक्षण के विषये से संबंधित होगी। के रसी कुशल व्यक्तियों के रूप में विख्यात और अच्छे अनुभवी व्यक्तियों को मंत्रित करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि इसमें न्तरिक और बाह्य कुशल व्यक्तियों का मिश्रण हो।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु प्रशिक्षुओं और नए यामों से प्राप्त प्रतिक्रिया के धार पर प्रत्येक वर्ष/6 महीने पर अपडेट की जानी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसकी ताकत और कमजोरी का वधिक मूल्यांकन बाहरी रिसोर्स एजेंसी/कार्मिक द्वारा किया जाना चाहिए।

11. ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए की-सिसोर्स सैन्टर्स (के रसी) द्वारा शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों की फंडिंग के लिए लागत मानकों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

i. गैर- वासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

बोर्डिंग व्यय, पाठ्यक्रम शुल्क, रिसोर्स-किट सामग्री और अन्य व्यय सहित गैर वासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक प्रशिक्षु पर कुल व्यय रुपये 2000/- से अधिक नहीं होगा। गैर वासीय पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 30 भागीदारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

की-रिसोर्स सैन्टर संस्थागत शुल्क के रूप में कुल कार्यक्रम लागत का 10% प्राप्त करने का हकदार होग। यह अधिकतम सीमा है और ठीक-ठीक लागत ब्रेकअप पर अधारित, प्रत्येक कार्यक्रम की लागत को अनुमोदित किया जाएगा।

ii. वासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

जिला एवं राज्य स्तर से सभी प्रशिक्षुओं (रिसोर्स व्यक्तियों) को एक अच्छे स्तर के होस्टल अथवा और होटल/ गैस्ट हाउसों में रखा जायेगा। बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय, पाठ्यक्रम शुल्क, रिसोर्स किट, सामग्री तथा अन्य दूसरे खर्चों सहित वासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक प्रशिक्षु पर कुल व्यय रुपये 3500/- से अधिक नहीं होगा। वासीय पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 30 भागीदारों को सुनिश्चित किया जाए।

की-रिसोर्स सैन्टर संस्थागत शुल्क के रूप में कुल कार्यक्रम लागत का 10% प्राप्त करने का हकदार होगा। यह अधिकतम सीमा है और ठीक-ठीक लागत ब्रेकअप पर धारित प्रत्येक कार्यक्रम की लागत को अनुमोदित किया जाएगा।

iii. तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए राज्य या जिले के दौरे के लिए रिसोर्स व्यक्तियों द्वारा देश में दौरा;

की-रिसोर्स सैन्टर्स से अपेक्षित है कि वह कार्य-योजना से संबंधित कार्यक्रम और अन्य कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और सम्प्रेषण योजना के विकास के लिए तकनीकी मार्गदर्शन करने के लिए राज्यों और जिलों का दौरा करें। राज्य सीसीडीयू और जिलों को तकनीकी मार्गदार्शन देने तथा अन्य कार्यों के लिए प्रत्येक दौरे के लिए अधिकतम 50,000/- रुपये की अनुमति होगी। उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लिए यह सीमा रुपये 75,000/- होगी। किसी भी राज्य विशेष में एक वर्ष में लगातार 3 बार से अधिक दौरा नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए के रसी के दो कुशल कार्मिक 800 कि.मी. तक की दूरी के लिए एसी 2 टियर/800 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए इकोनॉमी हवाई किराया के हकदार होंगे तथा प्रतिदिन रुपये 1500/- तक होटल में रहने, शहर में यात्रा के लिए रुपये 150/- प्रति डाइम टैक्सी प्रभार और फूड बिल के लिए अधिकतम रुपये 200/- प्रतिदिन के हकदार होंगे तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए के रसी को रुपये 2500/- प्रतिदिन प्रति रिसोर्स व्यक्ति को संस्थागत शुल्क के रूप में दिया जायेगा।

iv. राज्य मुख्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम योजित करना

राज्य में अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम की-रिसोर्स सैन्टर्स द्वारा योजित किए जाएंगे जिसके रिसोर्स व्यक्ति संबंधित राज्यों में जायेंगे। इस उद्देश्य के लिए रिसोर्स व्यक्ति को रुपये 1000/- व्यावसायिक शुल्क के रूप में दिए जायेंगे। रिसोर्स व्यक्ति 800 कि.मी. तक की दूरी के लिए एसी 2 टियर/800 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए इकोनॉमी हवाई किराया के हकदार होंगे तथा प्रतिदिन रुपये 1500/- तक होटल में रहने, शहर में यात्रा के लिए रुपये 150/- प्रति डाइम टैक्सी प्रभार एवं फूड बिल के लिए अधिकतम रुपये 200/- प्रतिदिन के हकदार होंगे। के रसी को रुपये 2500/- प्रतिदिन प्रति रिसोर्स व्यक्ति को संस्थागत प्रभारों के रूप में भी दिया जाएगा।

v. प्रशिक्षण मॉड्युल्स का विकास

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व उठा रही के रसी न्तरिक रूप से या बाह्य विशेषज्ञों की सहायता से प्रशिक्षण मॉड्युल्स विकासित करेंगा और अधिकतम राशि रुपये 50,000/- प्रति मॉड्युल उपलब्ध कराई जाएगी तथापि प्रत्येक मामले में यह राशि केस टू केस धार पर निर्धारित की जाएगी जो कि शामिल कार्य की मात्रा पर निर्भर होगी।

vi. वर्कशाप/सेमिनार/विचार-विमर्श दि का योजन करना

की-रिसोर्स सैन्टर्स को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर वर्कशाप, सेमिनार दि योजित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे मामलों में देय राशि अनुल्ग्नक-I पर दी गई हे।

vii. बाहरी रिसोर्स व्यक्तियों/विशेषज्ञों को शामिल करना

सीसीडीयू के लिए प्रशिक्षण एवं संप्रेषण योजना के विकास के लिए, प्रशिक्षण मॉड्युल्स को अंतिम रूप देने के लिए, कांफ्रेंस, सेमिनार दि के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण करने संबंधी कार्यक्रमों के लिए बाह्य रिसोर्स व्यक्तयों/विशेषज्ञों को मंत्रित किया जाए। क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय रिसोर्स व्यक्तियों/विशेषज्ञों की सूची को की-रिसोर्स सैन्टर द्वारा अंतिम रूप देने की वश्यकता है और उसकी एक प्रति पेयजल पूर्ति विभाग को उपलब्ध कराई जाए जिसे इसकी वेबसाइट पर डाला जाएगा। रिसोर्स व्यक्ति/विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए लागत मानक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए दौरा किए जाने वाले राज्य के लिए लागत मानकों के अनुसार होंगे।

viii. मामले के अध्ययन, उत्तम प्रैक्टिस, मूल्यांकन अध्ययन एवं अन्य दस्तावेज के कागजात तैयार करना

के रसी को प्रति अध्ययन अधिकतम सीमा के रूप में रुपये 5,00,000/- उपलब्ध किये जाएंगे। प्रत्येक मामले में विभाग द्वारा विचार किया जाएगा जो शामिल कार्य की प्रमात्रा पर धारित होगा। अन्य दस्तावेज/कागजात दि तैयार करने के लिए दर वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देते समय के रसी के साथ विचार-विमर्श करते हुए विभाग द्वारा मामला-दर-मामला धार पर निर्धारित की जाएगी।

12. रिपोर्टिंग तंत्र

के रसी से अपेक्षित है कि वह अनुलग्नक-2 पर सुझाए गए फार्मेट में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, वर्कशाप दि पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

13. समीक्षा तंत्र

के रसी की वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की पेयजल पूर्ति विभाग द्वारा समीक्षा की जाएगी।

*****